



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी-अलवर
(पीठारीन अधिकारी -पिंकी आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 1/161/2020

जीसीएमएरा सं0 2020/00139

दर्ज तिथि:-17.12.2020

1. सूरजमल पुत्र जैताराम पौत्र लादूराम
2. गोरीशंकर पुत्र जैताराम पौत्र लादूराम
3. रबू पुत्र भेवा उर्फ भेमला पौत्र लादूराम
4. जयराम पुत्र भागीरथ पौत्र भेवा
5. विश्राम पुत्र भागीरथ पौत्र भेवा
6. रोशन पुत्र भागीरथ पौत्र भेवा
7. राजन्ती पुत्री भागीरथ पौत्री भेवा
8. सन्तो पुत्री भागीरथ पौत्री भेवा
9. नाथी पत्नी जौहरी पौत्रवधू भेवा
10. मैरू पुत्र जौहरी पौत्र भेवा
11. नानगी पुत्री जौहरी पौत्री भेवा-

समस्त जातियान मीना निवासीयान क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

.....वादीगण

1. भगवाना पुत्र भौरा पौत्र लादूराम
2. जगदीश उर्फ सूसा पुत्र भौरा पौत्र लादूराम
3. रामफूल पुत्र बदी पौत्र भौरा- मृतक
- 3/1. मंगली पत्नी रामफूल
- 3/2. लोकेश पुत्र रामफूल नाबालिग
- 3/3. सत्यप्रकाश पुत्र रामफूल नाबालिग
- 3/4. शिवानी पुत्री रामफूल नाबालिग
- 3/5. रीना पुत्री रामफूल नाबालिग
- 3/6. पिंकी पुत्री रामफूल नाबालिग

4. रामलाल पुत्र बदी पौत्र भौरा
5. मुकेश पुत्र बदी पौत्र भौरा
6. लेखराज पुत्र बदी पौत्र भौरा
7. कौशल्या पत्नी शिवलाल पौत्र बदी
8. धोलाराम पुत्र शिवलाल पौत्र बदी
9. अनिता पुत्री शिवलाल शिवलाल पौत्री बदी
10. शीला पुत्री शिवलाल पौत्री बदी

समस्त जातियान मीना निवासीयान क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
जिला अलवर राजस्थान।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
.....असल प्रतिवादीगण
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित.....

वादी अधिवक्ता:- के0 के0 शर्मा II
प्रतिवादी अधिवक्ता:- डी0पी0दीक्षित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

-:पर्चा डिक्री:-

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क एवं रथाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 225/0.04 है0, 231/0.20 है0, 232/0.28 है0, 233/0.06 है0, 234/0.03 है0, 235/0.03 है0, 236/0.01 है0, 237/0.01 है0, 240/0.10 है0, 241/0.30 है0, 242/0.10 है0 कुल किता 11 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान पर वादीगण को 2/3 हिस्से एवं प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि मुतनाजा आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज सालिम को कलमजन कर वादीगण को 2/3 हिस्से व प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्सा दर्ज करते हुए दुरुस्त करें। शेष राजस्व इन्द्राज बदस्तूर जारी रहे।

यह पर्चा-डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। यह पर्चा-डिक्री आज दिनांक 01.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(पिकी आर.ए.एस.)

उपस्थंड अधिकारी
थानागाजी (अलवर जिला)

सत्यमेव जयते

थानागाजी-अलवर